



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01052020-219263
CG-DL-E-01052020-219263

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1219] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 24, 2020/वैशाख 4, 1942
No. 1219] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 24, 2020/VAISAKHA 4, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2020

का.आ. 1363(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग के कॉलम (2) में – तदनुरूप प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट के अनुसार उक्त सारणी के कॉलम (1) में तदनुरूप प्रविष्टि के अनुसार यथा-विनिर्दिष्ट खंड, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है, अर्थात्:-

सारणी

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या (1)	राष्ट्रीय राजमार्ग खंड (2)	चैनेज (3)
रारा-65 (पुराना रारा-9)	पुणे – शोलापुर खंड (महाराष्ट्र राज्य में)	किमी 14.000 से किमी 40.000

[फा. सं. एनएच-14013/6/2020-पीएंडएम]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th April, 2020

S.O. 1363(E).— In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretch of national Highways, as specified in column (3) of the Table below, of the section as specified in column (2) of the National Highways as specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India, namely:-

TABLE

National Highways No. (1)	Section of National Highways (2)	Chainage (3)
NH-65 (Old NH-9)	Pune-Solapur section (In the State of Maharashtra)	Km. 14.000 to Km 40.000

[F. No. NH-14013/6/2020-P&M]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2020

का.आ. 1364(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्धारित कार्य इस शर्त के अधीन राज्य सरकारों द्वारा पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), दिनांकित 4 अगस्त, 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 14 के लिए तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

तालिका

(1)	(2)	(3)
"14	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. - 48 [गुजरात सीमा से मुंबरा (पनवेल) और पुणे से कर्नाटक सीमा खंड को छोड़कर], सं. 50, सं. 52 [महाराष्ट्र / कर्नाटक सीमा - हत्तूर और शोलापुर - धुले-सोंगीर-नरदाना- शिवपुर- संगवी- महाराष्ट्र /मध्य प्रदेश सीमा खंड को छोड़कर], सं. 53 [गुजरात सीमा - वैरायटी स्क्वायर (नागपुर सिटी) और वाडी नाका (नागपुर सिटी) से महा./छत्तीसगढ़ सीमा को छोड़कर], सं. 60 [धुले-नासिक और सिन्नर - खेड़ खंड को छोड़कर], सं. 61 [कल्याण - अहमदनगर बाइपास के प्रारंभ तक किमी 9/300 से किमी 211/00 और खारवंडी कसार से रारा-211 (नया रारा-52) के जंक्शन के साथ किमी 284/00 से किमी 337/000 तक खंड को छोड़कर], सं. 63, सं. 65 [किमी 0/00 से किमी 8/800 और किमी 14.000 - किमी 40.000 और किमी 40/0 - किमी 340/200 तक खंड को छोड़कर], सं. 66 [पनवेल - इंदापूर खंड और किमी 0/00 से किमी 84/00 तक को छोड़कर], सं. 160 [सिन्नर से अहमदनगर और वासुदे फाटा से चिखोडी - रारा - 48 के साथ जंक्शन को छोड़कर], सं. 247, सं. 266, सं. 465, सं. 543, सं. 561, सं. 647, सं. 652, सं. 753, सं. 761, सं. 848	महाराष्ट्र राज्य सरकार"

[थाणे – नासिक खंड को छोड़कर], सं. 930 [वारोरा – वानी खंड को छोड़कर], सं. 953, सं. 361एफ, सं. 130डी, सं. 150वि. [शोलापुर – अक्कलकोट खंड को छोड़कर], सं. 160ए [सिन्नार-घोटी खंड को छोड़कर]; सं. 160सी, सं. 160एच, सं. 161ए, सं. 161ई, सं. 161जी, सं. 161एच, सं. 166डी, सं. 166ई, सं. 166एफ, सं. 166जी, 166एच, सं. 347ए [महाराष्ट्र राज्य सरकार की बीओटी परियोजना के तहत जाम से वारोरा खंड को छोड़कर], सं. 353बी [तेलंगाना/महाराष्ट्र सीमा से राजुरा खंड किमी 32/500 से किमी 89/329 तक को छोड़कर], सं. 353सी, सं. 353डी [नागपुर – उमरेद खंड को छोड़कर], सं. 353ई, सं. 353आई, सं. 353जे [नागपुर – कटोल खंड को छोड़कर], सं. 353के, सं. 361बी, सं. 361सी, सं. 361एफ, सं. 361एच, सं. 461बी, सं. 547ई [गोंडखैरी - सावनेर खंड को छोड़कर], सं. 548ए, सं. 548बी, सं. 548सी [महाराष्ट्र राज्य सरकार की बीओटी परियोजना के तहत तेंभुरनी – कुरुदवाडी – बारशी खंड को छोड़कर], सं. 548सीसी, सं. 548डी [महाराष्ट्र राज्य सरकार की बीओटी परियोजना के तहत तालेगांव दभाडे, चाकन, शिकरापुर, न्हावरा खंड किमी 0/00 से किमी 83/551 तक को छोड़कर], सं. 548डीडी [कटराज-लोनीकांड को छोड़कर] सं. 548ई, सं. 561ए [महाराष्ट्र राज्य सरकार की बीओटी परियोजना के तहत अहमदनगर, करमाला, तेंभुरनी खंड तक को छोड़कर], सं. 752ई [औरंगाबाद-बिदकिन-पैठान खंड को छोड़कर], सं. 752जी [महाराष्ट्र राज्य सरकार की बीओटी परियोजना के तहत पिंपलनेर – सताना, देवला, चांदवाड, मनमाड, येवला, कोपरगांव से शिरडी के निकट रारा-160 के जंक्शन के साथ तक को छोड़कर], सं. 752एच, सं. 752आई [महाराष्ट्र राज्य सरकार की बीओटी परियोजना के तहत कोपरगांव – औरंगाबाद खंड किमी 0/00 से किमी 88/100 और औरंगाबाद, जालना, वातुर खंड को भी छोड़कर], सं. 752के, सं. 753ए, सं. 753बी, सं. 753ई, सं. 753एफ [महाराष्ट्र राज्य सरकार की बीओटी परियोजना के तहत औरंगाबाद, नेवासा, घोडेगांव, अहमदनगर, शिरूर, रंजनगांव, शिकरापुर, पुणे खंड को छोड़कर], सं. 753एच, सं. 753जे [महाराष्ट्र राज्य सरकार की बीओटी परियोजना के तहत नंदगांव, हिसवाल से मनमाड खंड को छोड़कर], सं. 753एल, सं. 753एम, सं. 848ए, सं. 930डी [महाराष्ट्र राज्य सरकार की बीओटी परियोजना के तहत रारा-353बी के साथ अपने जंक्शन से महाराष्ट्र / तेलंगाना सीमा किमी 19/0 से किमी 50/808 और वीसापुर, बल्लारपुर से बामनी को जोड़ने वाले चंद्रपुर खंड को भी छोड़कर], सं. 965सी, सं. 965डीडी [लोनंद से वारंदा (पुणे / रायगढ़ जिला सीमा खंड) तक को छोड़कर], सं. 965जी [पटास – वेलापुर खंड किमी 0/00 से किमी 137/48 तक को छोड़कर] तक के उतने भाग जो महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है।
--

[फा. सं. एनएच-14013/6/2020-पीएंडएम]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना को सं. का.आ. 1096 (अ), दिनांकित 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार सं. का.आ. 1056(अ), दिनांकित 12 मार्च, 2020 द्वारा संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th April, 2020

S.O. 1364(E).— In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for serial number 14 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

TABLE

(1)	(2)	(3)
“14	So much of National Highways No. NH-48 [excluding Gujarat border to Mumbra (Panvel) & Pune to Karnataka border section]; No. 50; No.52 [excluding Maharashtra / Karnataka border – Hattur and Solapur – Dhule- Songir – Nardana – Shivpur – Sangvi – MAH / MP border section]; No. 53 [excluding Gujarat border-Variety square (Nagpur city) & Wadi Naka (Nagpur city) to MAH/Chhattisgarh border]; No. 60 [excluding Dhule- Nashik & Sinnar - Khed section]; No. 61[excluding Kalyan – Start of Ahmednagar bypass section from km 9/300 to km 211/00 & excluding Kharwandi Kasar to junction with NH-211 (New NH-52) section from km 284/00 to km 337/00]; No. 63; No. 65 [excluding section from Km 0/00 to km 8/800 & from km 14.000 to km 40.000 & km 40/0 – km 340/200]; No. 66[excluding Panvel – Indapur section from km 0/00 to km 84/00]; No. 160 [excluding Sinnar to Ahmednagar & Vasunde phata to Chikhodi - junction with NH-48]; No. 247; No. 266; No. 465, No. 543, No. 561, No. 647, No. 652, No. 753, No. 761, No. 848 [excluding Thane - Nashik section], No. 930 [excluding Warora – Wani section]; No. 953; No. 361F; No. 130D; No. 150 Ext [excluding Solapur – Akkalkot section]; No. 160A [excluding Sinnar – Ghoti section]; No. 160C; No. 160H; No. 161A; No. 161E; No. 161G; No. 161H; No. 166D; No. 166E; No. 166F; No. 166G; No. 166H; No. 347A [excluding Jam to Warora section under BOT project of State Govt. of Maharashtra]; No. 353B [excluding Telangana / Maharashtra border to Rajura section from km 32/500 to km 89/329]; No. 353C; No. 353D [excluding Nagpur-Umred section]; No. 353E; No. 353I; No. 353J [excluding Nagpur - Katol section]; No. 353K; No. 361B; No. 361C; No. 361F; No. 361H; No. 461B; No. 547E [excluding Gondkhairi – Saoner section]; No. 548A; No. 548B; No. 548C [excluding Tembhurni -Kurudwadi – Barshi section under BOT project of State Govt. of Maharashtra] ; No. 548CC; No. 548D [excluding Talegaon Dabhade, Chakan, Shikrapur, Nhavra section from km 0/00 to km 83/551 under BOT project of State Govt. of Maharashtra]; No. 548DD [excluding Katraj-	State Government of Maharashtra”.

Lonikand]; No. 548E; No. 561A [excluding Ahmednagar, Karmala, Tembhurni section under BOT project of State Govt. of Maharashtra]; No. 752E [excluding Aurangabad – Bidkin – Paithan section]; No. 752G [excluding Pimpalner – Satana, Deola, Chandvad, Manmad, Yeola, Kopargaon to junction with NH-160 near Shirdi section under BOT project of State Govt. of Maharashtra] ; No. 752H; No. 752I [excluding Kopargaon – Aurangabad section from km 0/00 to km 88/100 & also excluding Aurangabad, Jalna, Watur section under BOT project of State Govt. of Maharashtra]; No. 752K; No. 753A; No. 753B; No. 753E; No. 753F [excluding Aurangabad, Newasa, Ghodegaon, Ahmendnagar, Shirur, Ranjangaon, Shikrapur, Pune section under BOT project of State Govt. of Maharashtra]; No. 753H; No. 753J [excluding Nandgaon, Hishaval to Manmad section under BOT project of State Govt. of Maharashtra]; No. 753L; No. 753M; No. 848A; No. 930D [excluding junction with NH-353B to Maharashtra/Telangana border from km 19/0 to km 50/808 & also excluding Chandrapur connecting Visapur, Ballarpur to Bamni section under BOT project of State Govt. of Maharashtra]; No. 965C; No. 965DD [excluding Lonand to Varanda (Pune/Raigad district border section)]; No. 965G [excluding Patas – Velapur section from km 0/00 to km 137/48] as are situated within the State of Maharashtra.	
---	--

[F. No. NH-14013/6/2020-P&M]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.

Note: -The principal notification was published vide number S.O.1096 (E), dated the 4th August, 2005 and was last amended vide number S.O. 1056 (E), dated the 12th March, 2020.